



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या -15 राँची, बुधवार

17 भाद्र, 1943 (श०)

8 सितम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 170-175
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9—विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**13 जुलाई, 2021**

संख्या-03/नि०सं०-09-11/2021का.3170—श्री अजय कुमार साव,झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-105/20), अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत को दिनांक 22.04.2021 से दिनांक 05.05.2021 तक (कुल 15 दिनों का) निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 जुलाई, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-12/2021का.3246--श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-120/20), व्याख्याता, सई, राँची को दिनांक 03.10.2019 से दिनांक 03.08.2020 तक (कुल 306 दिन) की अवधि के लिए निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दि० 03.10.2019 से 28.07.2020 तक - उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।
(कुल 300 दिन)
- (ii) दि० 29.07.2020 से 03.08.2020 तक - अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत ।
(कुल 06 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-12/2016-15840 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती बन्दना भारती, झा०प्र०से०, तृतीय बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तंभ 6 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है ।

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	BANDANA BHARTI- (110033395465)	REVENUE, REGISTRATION AND LAND REFORMS DEPARTMENT (REVENUE)	<u>Settlement</u> <u>Office Ranchi</u> <u>,RANCHI</u> Assistant Settlement Officer	04/07/2013	05/07/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

27 जुलाई, 2021

संख्या-1/विविध-874/05का०-3447-स्व० आलोक गोयल, भा.प्र.से. (झा:1990), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 17.05.2021 से 09.06.2021 तक के लिए कुल 24 दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 15.05.2021 एवं 16.05.2021 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश को रूपान्तरित अवकाश के प्रारम्भ में उपभोग की अनुमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

में SHIPRA पिता SRI RABINDRA KUMAR MALVIYA शपथ पत्र सं० 1470, दिनांक 27 मई, 2019 के अनुसार SHIPRA MALVIYA के नाम से जानी जाऊँगी।

SHIPRA एवं SHIPRA MALVIYA दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- DEEP SHIKHA,
PROFESSOR COLONY,
BILASI TOWN, DEOGHAR,
P.S. & DIST.- DEOGHAR
